

नंगा - २७८३/२०१४/वीका/छ-२०

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल सर्किल कोर्ट रीवा म.प्र.



गजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तनय स्व. रामानंद चतुर्वेदी उम्र 67 वर्ष, निवासी
ग्राम पिपरा, पो. रौसरू तह. हुजूर, थाना चोरहटा जिला- रीवा म.प्र. हाल
निवास नेहरू नगर रीवा म.प्र.

— निगरानीकर्ता

मुदियन्धीश्वरांकान्त
मुक्ता देवा | ०७-५-१८

बनाम

1. श्रीमती शांति चतुर्वेदी पल्ली स्व. लवकुश प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 75
वर्ष, पेशा— कृषि
2. शंकर प्रसाद चतुर्वेदी तनय स्व. लवकुश प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 53
वर्ष, पेशा— कृषि
3. शिवम चतुर्वेदी तनय स्व. ओंकार प्रसाद चतुर्वेदी पेशा— खेती, उम्र 21 वर्ष, पेशा— प्राइवेट नौकरी
उपरोक्त तीनों निवासी पाण्डेय टोला, रीवा, जिला- रीवा म.प्र.
4. मयंक भूषण चतुर्वेदी तनय स्व. रामरक्षा प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 51 वर्ष,
पेशा— पत्रकारिता
5. राजबिहारी चतुर्वेदी तनय स्व. रामरक्षा प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 49 वर्ष,
पेशा— कृषि
कमांक 4 व 5 निवासी ग्राम गोड्हर तह. हुजूर, जिला- रीवा म.प्र.
6. हीरालाल पिता स्व. हनुमान प्रसाद उम्र 62 वर्ष, पेशा— कृषि,
निवासी ग्राम पिपरा, तह. हुजूर, जिला- रीवा म.प्र.
7. रावेन्द्र पिता स्व. शोभनाथ उम्र 48 वर्ष, पेशा— कृषि, निवासी ग्राम
पिपरा, तह. हुजूर, जिला- रीवा म.प्र.

खस्तकी

G. K. Chaturvedi

Chaturvedi

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग0/02783/2018/रीवा/भू-रा०

जिला-रीवा

गजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी/ श्रीमती शांति चतुर्वेदी वगैरः

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री शिवाकांत शुक्ला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 322/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 01.05.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: center;"></p>	